प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठ; माननीय न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा)

रिट याचिका (227) क्रमांक 4280/2008

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन याचिका)

याचिकाकर्ता: भरत कुमार

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: श्रीमती रूपा बाई एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 29 सितम्बर, 2008 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश
दिनांक 26.09.2008

(एकल पीठ; माननीय न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा)

रिट याचिका (227) क्रमांक 4280/2008

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन याचिका)

याचिकाकर्ता:

भरत कुमार, पिता अशोक कुमार बबलानी, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी-आनंद प्रोविज़न स्टोर्स के पास, श्याम नगर, पोस्ट-तेलीबांधा, रायपुर, तह. एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. श्रीमती रूपा बाई, पति स्व. गणेश, आयु लगभग 24 वर्ष।
2. (अप्राप्तवय) भूषण, पिता गणेश, आयु लगभग 8 वर्ष।
3. (अप्राप्तवय) नेमी, पिता गणेश, आयु लगभग 5 वर्ष।

   क्रमांक 2 एवं 3 (दोनों अप्राप्तवय) का प्रतिनिधित्व नैसर्गिक संरक्षिका माता रूपा बाई, आयु लगभग 24 वर्ष, पति स्व. गणेश से। सभी निवासी ग्राम जोरा, पोस्ट एवं थाना तेलीबांधा, तह. एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

4. गणेशिया कुर्रे, पिता बनमाली कुर्रे, आयु लगभग 35 वर्ष।
5. गणेशी, पिता बनमाली कुर्रे, आयु लगभग 22 वर्ष।

   क्रमांक 4 एवं 5 निवासी-भेलवाढिन, पोस्ट एवं थाना अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

6. बनाऊ राम कुर्रे, पिता नरोत्तम, आयु लगभग 45 वर्ष।
7. अ. रामाधार, पिता स्व. गणेश, आयु लगभग 72 वर्ष।

   ब. बसंत भारती, पिता रामाधार, आयु लगभग 26 वर्ष।

स. (अप्रासवय) संत भारती, पिता रामाधार, आयु लगभग 15 वर्ष। क्रमांक (स) अप्रासवय अपने नैसर्गिक संरक्षक पिता रामाधार, आयु लगभग 72 वर्ष, पिता स्व. गणेश के माध्यम से।

8. गेंदलाल, पिता बनमाली, आयु लगभग 24 वर्ष।

क्रमांक 6, 7 (अ) (ब) (स) एवं 8 सभी निवासी ग्राम जोरा, पोस्ट एवं थाना तेलीबांधा, जिला रायपुर (छ.ग.)

9. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, रायपुर।

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए श्री रवींद्र अग्रवाल, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1, 2 एवं 3 के लिए श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 4 से 6 के लिए कोई उपस्थित नहीं।

उत्तरवादी क्रमांक 7 (अ) के लिए श्री रूप नायक, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 8 के लिए कोई उपस्थित नहीं।

उत्तरवादी क्रमांक 9 के लिए श्री विवेक शर्मा, पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

-- आदेश --

(दिनांक 19.09.2008 को पारित किया गया)

धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश द्वारा:

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, याचिका पर अंतिम सुनवाई की गई।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन यह रिट याचिका व्यवहार वाद क्रमांक 12**A**/06 में पारित आदेशों दिनांक 05.07.2008 (अनुलग्नक

पी-6) एवं दिनांक 15.11.2007 (अनुलग्नक पी-3) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान 9वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर ने वाद-मूल्य अनुसार न्यायालय शुल्क के असंदाय के संबंध में विवाद्यक को प्रारंभिक तौर पर विनिश्चित करने और वाद को खारिज करने के याचिकाकर्ता के निवेदन को अस्वीकार कर दिया है।

3. इस याचिका में अंतर्ग्रस्त विवाद संक्षेप में यह है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3/वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद भूमि पर अपने स्वत्व की घोषणा हेतु और यह घोषणा करने हेतु कि उत्तरवादियों के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख शून्य एवं निष्प्रभावी है तथा प्रतिवादियों को इससे कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता क्योंकि इसे कूटकरण के माध्यम से निष्पादित किया गया था, वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण वाद भूमि पर शांतिपूर्ण आधिपत्य के हकदार हैं और प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादपत्र के अभिवचनों के मात्र परिशीलन से यह स्पष्ट है कि वादीगण, जो वाद भूमि के विक्रय विलेख के निष्पादक हैं, उन्होंने विक्रय विलेख दिनांक 16.09.2004 को शून्य घोषित करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है, और इस प्रकार, उन्हें विक्रय विलेख के मूल्य के आधार पर मूल्य आधारित न्यायालय शुल्क का संदाय करना

आवश्यक है। संबंधित पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर, विचारण न्यायालय ने वाद के उचित मूल्यांकन और देय न्यायालय शुल्क के संबंध में विवाद्यक विरचित किया है और इस विवाद्यक को वादपत्र के कथनों के आधार पर प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में विनिश्चित किया जा सकता है, परंतु विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के उक्त विवाद्यक को प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में विनिश्चित करने के निवेदन को इस त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष के साथ गलत ढंग से खारिज कर दिया कि उक्त विवाद्यक तथ्य और विधि का मिश्रित प्रश्न है जिसे केवल साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात ही विनिश्चित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सलीम भाई एवं अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2003 एस.सी.सी. (सिविल) 86 के प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लेते हुए यह तर्क दिया गया कि उपयुक्त मामलों में संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अधीन आवेदन को विधि के अनुसार पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात वादपत्र के कथनों के आधार पर विनिश्चित किया जा सकता है।

आगे **मोहम्मद मुस्तफा खान विरुद्ध गुलाम रऊफ एवं अन्य, ए.आई.आर. 1996 एम.पी. 11** के प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लेते हुए यह तर्क दिया गया कि संहिता के आदेश 14 नियम 2 के अधीन विरचित

प्रारंभिक विवाद्यक, जिसमें साक्ष्य अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं है, उसे प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में विचारित किया जा सकता है। **मोहम्मद जमील खान एवं अन्य विरुद्ध मित्थूलाल खुशाल सिंह गुर्जर एवं अन्य, 1999 (1) एम.पी.एल.जे. 37** के प्रकरण का अवलंब लेते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जहाँ वाद विक्रय विलेखों को अपास्त करने हेतु है, वहाँ वादीगण को न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 (**iv**) (ग) के अधीन विक्रय विलेख के मूल्य पर मूल्य आधारित न्यायालय शुल्क का संदाय करना आवश्यक है।

5. इसके विपरीत, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि प्रश्नगत विक्रय विलेख प्रतिवादियों द्वारा वादीगण के कूटरचित हस्ताक्षर बनाकर निष्पादित कराया गया था और चूँकि वे विक्रय विलेख के पक्षकार नहीं थे, इसलिए विक्रय को अपास्त करने के अनुतोष की मांग किए बिना उनके पक्ष में घोषणा की डिक्री प्रदान की जा सकती है। इन परिस्थितियों में न्यायालय शुल्क अनुसूची-**II** के अनुच्छेद 17 के अधीन देय होगा न कि न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 (**iv**) (ग) के अधीन मूल्य आधारित न्यायालय शुल्क। **ओमप्रकाश विरुद्ध सूरतराम, 1994 एम.पी.एल.जे. 291** के प्रकरण का अवलंब लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है। मैंने आक्षेपित आदेश के साथ-साथ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र (अनुलग्नक पी-1) का परिशीलन किया है।

7. वादीगण के अभिवचनों के अनुसार, वादीगण और प्रतिवादी विवादित भूमि के अभिलेखित स्वामी हैं। विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 6 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से उस कूटरचित मुख्तारनामा के आधार पर बेची गई थी जिसे कथित तौर पर वादीगण द्वारा निष्पादित किया गया था, यद्यपि उन्होंने कभी भी प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 के पक्ष में कोई मुख्तारनामा निष्पादित नहीं किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. ओमप्रकाश (पूर्वोक्त) के प्रकरण में समान तथ्यों में निर्णय की कंडिका-7 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है;-

> "7. वादीगण ने आक्षेपित विक्रय के संबंध में यह तर्क दिया है कि यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो वाद संपत्ति में उनके हितों को अन्यसंक्रांत करने हेतु अधिकृत नहीं था। ऐसा नहीं है कि वे प्रतिवादी क्रमांक 2 को अपना मुख्तारनामा धारक स्वीकार करते हैं और फिर विक्रय से बचाव चाहते हैं। वादपत्र की वर्तमान स्थिति के अनुसार, प्रतिवादी क्रमांक 2 वादीगण का मुख्तार नहीं था और इसलिए वह वादीगण के हितों को अन्यसंक्रान्त करने हेतु अक्षम था। दूसरे शब्दों में, वादीगण का आरोप है कि उन्होंने वाद संपत्ति में अपने भाग का विक्रय नहीं किया है, फिर भी उनके हित को प्रतिवादी क्रमांक 1 को अन्यसंक्रान्त करने हेतु विलेख अस्तित्व में आ गया है। वादीगण ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आक्षेपित विक्रय विलेख का पक्षकार होना स्वीकार नहीं किया है।

अतः, विक्रय को अपास्त करने के अनुतोष की आवश्यकता के बिना एक मात्र घोषणा ही पर्याप्त होगी। यह अलग बात है कि यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 यह सिद्ध करने में सफल हो जाता है कि वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 2 को वाद संपत्ति में वादीगण के हितों को अन्यसंक्रान्त करने का प्राधिकार दिया था, तो वादीगण के वर्तमान अभिवचनों के आधार पर वे विफल हो जाएंगे।"

इस निर्णय की कंडिका 13 में आगे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है;

"13. उपर्युक्त टिप्पणियों के अधीन, पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वादीगण द्वारा मूल्यांकित वाद अनुसूची **II**, अनुच्छेद 17 के अधीन न्यायालय शुल्क के संदाय के लिए उत्तरदायी है न कि न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 7 **(iv) (c)** के अधीन। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. वर्तमान मामले में भी वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 के पक्ष में किसी भी मुख्तारनामा निष्पादित करने से इनकार किया है, उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि कूटरचित मुख्तारनामा के आधार पर विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है और उन्होंने अपने स्वत्व की घोषणा तथा प्रतिवादियों के विरुद्ध शाश्वत व्यादेश की प्रार्थना की है।

10. अतः, वादपत्र के अभिवचनों पर विचार करते हुए, मेरा यह अभिमत है कि विचारण न्यायालय ने इस टिप्पणी के साथ संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अधीन वाद की खारिजी हेतु याचिकाकर्ताओं के आवेदन को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया है कि वादीगण द्वारा किया गया वाद का मूल्यांकन तथ्य

और विधि का मिश्रित प्रश्न है जिसे केवल साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात ही विनिश्चित किया जा सकता है।

11. पूर्वोक्त कारणों से, विचारण न्यायालय द्वारा कोई ऐसी अवैधता, अनियमितता या अधिकारिता संबंधी त्रुटि नहीं की गई है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, याचिका खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।

तथापि, वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**